डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

गि0न0 – 64/2022

अनवान :–

1. सुबेसिंह पुत्र अमरचंद जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. महावीरसिंह } पुत्रान सुबेसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. कुलदीपसिंह }

वादी

बनाम

1. झिण्डूराम पुनियां पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. विद्यादेवी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
4. भारतीय स्टेट बैंक भिरानी जरिये शाखा प्रबन्धक छानीबड़ी।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री धर्मपाल बेरवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा चक 1 जेएसएल के खाता सं0 149/134 के मु0 न0 39 किला न0 10, 11, 20 ता 24, मु0 न0 45 किला न0 3/1, 4, 7, 8, 13 कुल 3.0230 नहरी खातेदारी कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम से संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज है जिसमें वादी सं0 1 सुबेसिह का 337/3023 हिस्सा, वादी सं0 2 महावीर का 675/6046हिस्सा, वादी सं0 3 कुलदीप का 675/6046 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 झिण्डूराम पुनियां 759/3023 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में खाता विभाजन अलग–अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डीक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

सुबेसिंह पुत्र अमरचंद 1/3 हिस्सा महावीरसिंह पुत्र सुबेसिंह 1/3 हिस्सा, कुलदीपसिंह पुत्र सुबेसिंह 1/3 हिस्सा जाति जाट साकिन झांसल खातेदार :– मु0 न0 39 किला न0 10 की 0.253है0, किला न0 11 की 0.253है0, किला न0 20 की 0.253है0, किला न0 21/1 की 0.240है0, किला न0 21/2 की 0.013है0 गै0 मु0 रास्ता, कुल 1.012है0 जिसमें नहरी 0.999है0, गै0 मु0 रास्ता 0.013है0

झिण्डूराम पुनियां पुत्र गोपालराम जाति जाट साकिन झांसल खातेदार :– मु0 न0 39 किला न0 22/1की 0.240है0, किला न0 22/2 की 0.013है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 23/1 की 0.240है0, किला न0 23/2 की 0.013है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 24 की 0.253है0, कुल 0.759है0 जिसमें नहरी 0.733है0, गै0 मु0 खाला 0.026है0

विद्यादेवी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन झांसल खातेदार :– मु0 न0 45 किला न0 3/1 की 0.240है0, किला न0 4 की 0.253है0, किला न0 7 की 0.253है0 किला न0 8 की 0.253है0, किला न0 13 की 0.253है0 कुल 1.252है0 नहरी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार भादरा द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव को डिक्री का भाग पढा जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/10/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 – 64 / 2022

अनवान : –

1. सुबेसिंह पुत्र अमरचंद जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. महावीरसिंह } पुत्रान सुबेसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. कुलदीपसिंह }

वादी

बनाम

1. झिण्डूराम पुनियां पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. विद्यादेवी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
4. भारतीय स्टेट बैंक भिरानी जरिये शाखा प्रबन्धक छानीबड़ी।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री धर्मपाल बेरवाल **वादी**
श्री सतवीर बैनीवाल **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 12/10/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 जेएसएल के खाता सं0 149 / 134 के मु0 न0 39 किला न0 10, 11, 20 ता 24, मु0 न0 45 किला न0 3 / 1, 4, 7, 8, 13 कुल 3.0230 नहरी खातेदारी कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम से संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज है जिसमें वादी सं0 1 सुबेसिह का 337 / 3023 हिस्सा, वादी सं0 2 महावीर का 675 / 6046हिस्सा, वादी सं0 3 कुलदीप का 675 / 6046 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 झिण्डूराम पुनियां 759 / 3023 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने–अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग–अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत, सींव डोल बने हुये है। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही बिनाय मुखास्मत है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया व प्रतिवादी सं0 3 व 4 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही रोही मौजा चक 1 जेएसएल के खाता सं0 149/134 के मु0 न0 39 किला न0 10, 11, 20 ता 24, मु0 न0 45 किला न0 3/1, 4, 7, 8, 13 कुल 3.0230 नहरी खातेदारी कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम से संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज है जिसमें वादी सं0 1 सुबेसिह का 337/3023 हिस्सा, वादी सं0 2 महावीर का 675/6046हिस्सा, वादी सं0 3 कुलदीप का 675/6046 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 झिण्डूराम पुनियां 759/3023 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

सुबेसिंह पुत्र अमरचंद 1/3 हिस्सा महावीरसिंह पुत्र सुबेसिंह 1/3 हिस्सा, कुलदीपसिंह पुत्र सुबेसिंह 1/3 हिस्सा जाति जाट साकिन झांसल खातेदार :- मु0 न0 39 किला न0 10 की 0.253है0, किला न0 11 की 0.253है0, किला न0 20 की 0.253है0, किला न0 21/1 की 0.240है0, किला न0 21/2 की 0.013है0 गै0 मु0 रास्ता, कुल 1.012है0 जिसमें नहरी 0.999है0, गै0 मु0 रास्ता 0.013है0

झिण्डूराम पुनियां पुत्र गोपालराम जाति जाट साकिन झांसल खातेदार :- मु0 न0 39 किला न0 22/1की 0.240है0, किला न0 22/2 की 0.013है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 23/1 की 0.240है0, किला न0 23/2 की 0.013है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 24 की 0.253है0, कुल 0.759है0 जिसमें नहरी 0.733है0, गै0 मु0 खाला 0.026है0

विद्यादेवी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन झांसल खातेदार :- मु0 न0 45 किला न0 3/1 की 0.240है0, किला न0 4 की 0.253है0, किला न0 7 की 0.253है0 किला न0 8 की 0.253है0, किला न0 13 की 0.253है0 कुल 1.252है0 नहरी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/10/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़